न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 14 / 2025

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. जीवाराम पुत्र जुगताराम जाति जटिया निवासी आलपुरा 2. टीकमाराम पुत्र उदाराम जाति जीनगर निवासी गुड़ामालानी 3. राहुल पुत्र सुखदेव 4. शारदा पत्नि खूबाराम जाति जीनगर निवासी सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी 5. तुलसाराम पुत्र भीमाराम 6. हुआदेवी पत्नि चेलाराम 7. हल्लुदेवी पत्नि पीराराम जाति मेगवाल निवासी सीलु तहसील गुड़ामालानी		1. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified

उपस्थिति :–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (तहसील कार्यालय) राज. सरकार विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:11 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक– 24.07.2025

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 8/10 रकबा 3.7214 हेक्टयर का ग्राम किश्ज्ञनपुरप टवरा मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आया हुआ है जो मूल खसरा संख्या 8 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए है। ग्राम किशनपुर के खसरा संख्या 8 रकबा 0.6472 हैक्अयर जों पूर्व के खातेदारान द्वारा खसरा संख्या 8/3 रकबा 30.00 बीघा में से चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 8 रकबा 04-00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो वर्ष 2013 में किया गया था उक्त चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 8 रकबा 04-00 बीघा अर्थात 0. 6472 हैक्टेयर जो नामान्तकरण स्वीकृत किया जाने के बाद उक्त खसरे में तरमीम भी कर दी गयी थी। जो राजस्व रेकर्ड को आनलाईन करते वक्त उक्त खसरे की तरमीम को मौके पर बिना किसी प्रकार का नाप किये और मौके व कब्जा काश्त से अलग रुप में तरमीम को कर दिया गया है कि उक्त खसरों में अब वर्तमान में जो नक्शा बता रहा है। वह प्रार्थी के रहवासी मकान और चल रहे मार्ग को प्रभावित करता है। जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण को नकदी में संभव नहीं है और प्रार्थी के तरमीम सही नही होने से उक्त आवेदन लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी के पटवार मंडल-सिणधरी के राजस्व ग्राम-किशनपुर के खेत खसरा संख्या मूल खसरा संख्या 8 से विभक्त होकर कायम नवसृजित खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण के द्वारा किये गये समर्पण पत्र, कब्जा-काश्त व मौके की स्थिति को मध्यनजर रखकर और प्रार्थी के द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार सही तरमीम करने का आदेश जारी किया जावे।

2 प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 01 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 8/10 रकबा 3.7214 हेक्टयर का ग्राम किश्ज्ञनपुरप टवरा मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आया हुआ है जो मूल खसरा संख्या 8 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए है। ग्राम किशनपुर के खसरा संख्या 8 रकबा 0.6472 हैक्अयर जों पूर्व के खातेदारान द्वारा खसरा संख्या 8/3 रकबा 30.00 बीधा में से चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 8 रकबा 04-00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो वर्ष 2013 में किया गया था उक्त चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 8 रकबा 04-00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो नामान्तकरण स्वीकृत किया जाने के बाद उक्त खसरे में तरमीम भी कर दी गयी थी। जो राजस्व रेकर्ड को आनलाईन करते वक्त उक्त खसरे की तरमीम को मौके पर बिना किसी प्रकार का नाप किये और मौके व कब्जा काश्त से अलग रुप में तरमीम को कर दिया गया है कि उक्त खसरों में अब वर्तमान में जो नक्शा बता रहा है। वह प्रार्थी के रहवासी मकान और चल रहे मार्ग को प्रभावित करता है। जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण को नकदी में संभव नहीं है और प्रार्थी के तरमीम सही नही होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उक्त आवेदन लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी के पटवार मंडल–सिणधरी के राजस्व ग्राम–किशनपुर के खेत खसरा संख्या मूल खसरा संख्या 8 से विभक्त होकर कायम नवसृजित खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण के द्वारा किये गये समर्पण पत्र, कब्जा–काश्त व मौके की स्थिति को मध्यनजर रखकर और प्रार्थी के द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार सही तरमीम करने का आदेश जारी किया जावे। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 8/10 रकबा 3.7214 हेक्टयर का ग्राम किश्ज्ञनपुरप टवरा मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आया हुआ है जो मूल खसरा संख्या 8 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए है। ग्राम किशनपुर के खसरा संख्या 8 रकबा 0.6472 हैक्अयर जों पूर्व के खातेदारान द्वारा खसरा संख्या 8/3 रकबा 30.00 बीधा में से चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 8 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो वर्ष 2013 में किया गया था उक्त चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 8 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो नामान्तकरण स्वीकृत किया जाने के बाद उक्त खसरे में तरमीम भी कर दी गयी थी। जो राजस्व रेकर्ड को आनलाईन करते वक्त उक्त खसरे की तरमीम को मौके पर बिना किसी प्रकार का नाप किये और मौके व कब्जा काश्त से अलग रुप में तरमीम को कर दिया गया है कि उक्त खसरों में अब वर्तमान में जो नक्शा बता रहा है। वह प्रार्थी के रहवासी मकान और चल रहे मार्ग को प्रभावित करता है। जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण को नकदी में संभव नहीं है और प्रार्थी के तरमीम सही नही होने से उक्त आवेदन लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी के पटवार मंडल–सिणधरी के राजस्व ग्राम–किशनपुर के खेत खसरा संख्या मूल खसरा संख्या 8 से विभक्त होकर कायम नवसृजित खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण के द्वारा किये गये समर्पण पत्र, कब्जा–काश्त व मौके की स्थिति को मध्यनजर रखकर और प्रार्थी के द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार सही तरमीम करने का आदेश जारी किया जावे। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 751 दिनांक 26.03.2025 से होता है, इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा खसरा नम्बर 8 व 8/10 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 751 दिनांक 26.03.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24.07.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:11 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नक्शा किश्तवार

ग्राम - किशनपुर

प. मं. - सिणधरी

तहसील - सिणधरी

पैमाना 1" = 80 गट्ठा

3/2/25

"राजस्व आवेदन संख्या 14/2025

अनवान् जीवाराम बनाम सरकार"

खसरा नम्बर - 8 व 8/10

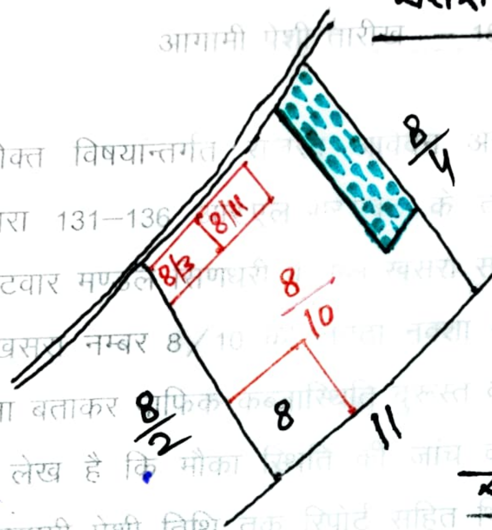

संकेत : किस्म वरंग

1. मौका कब्जा अनुसार प्रस्तावित तरमीम ख. नं. - 8 वरंग हरा

2. ... तरमीम ख. ... वरंग लाल

राजकीय प्रयोजनार्थ जारी/

प्रमाणित प्रतिलिपि

Ex. COUN

05-03-25

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी 24.01.2025

गोविन्द राम पटवारी पटवार मण्डल सिणधरी

पटवारी सिणधरी

05.03.2025

निरीक्षक (भू. अ.) सिणधरी

C.S

तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya

Date: 2025.09.28 18:43:11 IST

Reason: SelfAttested

जीवाराम

राहुल

हा बमाराम

अं. नि. शारदा

पुराछाराम

कं. नि. हुसाडकी

अं. नि. हनुमदीन